Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर को नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 11 -08-2023

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–18/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/08/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– **नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु Jayaswal Neco Industries Limited द्वारा Alternative Road for Transportation of iron ore at Chhotedongar iron ore Mine हेतु क्षेत्रफल 2.025 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत्।**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–310/1513, दिनांक 22.06.2023।

–000–

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर का नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** **मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के प्रकरण में** रजिस्ट्रेशन क्रमांक–**FP/CG/Approach/156074/2022** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि वनमंडल कार्यालय के नारायणपुर के कोषालय में दिनांक 29.06.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये कुल 35,000 रूपये जमा कराया गया है।	2 – 7
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित परियोजना हेतु नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि प्रभावित हो रही है।	8
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	9
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	10 – 11
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** प्रस्तावित वन भूमि कक्ष आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे का इंडेक्स मैप संलग्न है।	12 – 17

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 85.00 लाख रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है।	18 – 22
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर का छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कंपनी के पक्ष में छोटेडोंगर के वन भूमि रकबा 192.25 हे. में लौह अयस्क खनिज के खनन हेतु खनिपट्टा स्वीकृति किया गया है। इस स्वीकृत वन भूमि 192.25 हे. में पहुंच मार्ग का क्षेत्र भी शामिल है। कंपनी द्वारा स्टेट हाईवे से खदान में जाने हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित है एवं नक्सलियों द्वारा कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिये जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः राज्य शासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टकोण से छोटे डोंगर की पहाड़ी में सुरक्षा बलों का कैम्प स्थापित किया गया है। कंपनी द्वारा खदान में आवागमन हेतु निर्मित पहुंच मार्ग का कुछ हिस्सा सुरक्षा बल के कैम्प के अत्याधिक नजदीक है।	23 – 25
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा प्रत्यावर्तन एवं आबंटित वन भूमि के एवज में शासन द्वारा समय–समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	26 – 27
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।	28
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना लीनियर होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	29
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र –अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में 562 वृक्ष खड़े है जिसका विदोहन किया जाना है।	30 – 57
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	58 – 62
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	63
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु चयन किया गया है। अतः गैर वन क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।	64
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 2.025 हे. के एवज में पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत मेसर्स जायसवाल निको के कोयली बेड़ा परिक्षेत्र के ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट स्वामित्व के निजी भूमि रकबा 2.050 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	65 – 106

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वन मंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कोयलीबेड़ा परिक्षेत्र के ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट आवेदक संस्थान के स्वामित्व के निजी भूमि रकबा 2.050 हे. चयनित किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	107 – 110
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	111
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	112
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वनमंडलाधिकारी,नारायणपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	113 – 114
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के द्वारा लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ 2193 रकबा 2.025 हे वन भूमि के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि दिया गया है। अतः मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	115
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	116
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	117
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	118
25	**व्यवस्थापन प्लान** – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	119
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रपत्र–3 पर वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल द्वारा दिनांक 17.05.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 30.05.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	120 – 128
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत / स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।	129
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के अंतर्गत नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 के रकबा 2.025 हे वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम पंचायत राजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	130 – 133
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)–** नारायणपुर जिले की कुल वन भूमि 116237.97 हे. है।	134

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** नारायणपुर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के 04 प्रकरण रकबा 476.720 हे. स्वीकृति की गई है।	135
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।	136
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	137
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	138
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर नारायणपुर द्वारा वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र 31.10.2022 को जारी किया गया है।	139 – 150
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर नारायणपुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	151
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	152 – 153
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	154 – 157
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल प्रतिवेदन अनुसार भूमि की दशा प्रायः दूमट मिट्टी है।	158
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	159 – 160
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980–** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	161
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	162 – 164
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	165
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** – लागू नहीं।	166
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –**	167

क्रमशः 5

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

Vkrajput 16.8.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–18/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/08/2023

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर/पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Vkrajput
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग